न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण

1. भंवरलाल पुत्र हीराराम
2. सोहनलाल पुत्र हीराराम जातिगण मेघवाल निवासीगण धुन्धला तहसील मा0ज0 जिला पाली
3. महेन्द्र पुत्र भुण्डाराम
4. भुण्डीदेवी पुत्र भुण्डाराम
5. किस्तुरराम पुत्र भुण्डाराम
6. संतोष पुत्री भुण्डाराम
7. चम्पादेवी पुत्री भुण्डाराम
8. पुष्पादेवी पुत्री भुण्डाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण धुन्धला तहसील मा0ज0
9. रमेश
10. राकेश
11. मुकेश
12. मुनेश पीसरान शेषाराम
13. सीतादेवी पत्नी शेषाराम
14. पवन
15. पूरण
16. चेतन पीसरान प्रतापराम
17. पिस्तादेवी पत्नी प्रतापराम (प्रार्थीगण संख्या 15 व 16 नाबालिग जरिये कुदरती वलि माता श्रीमती पिस्तादेवी पत्नी प्रतापराम)
18. दिलीप पुत्र राजुराम
19. अंजुदेवी पुत्री राजूराम
20. ललिता पुत्री राजुराम
21. कविता पुत्री राजुराम
22. गीतादेवी पत्नी राजूराम जातिगण मेघवाल निवासीगण धुन्धला तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली (प्रार्थीगण संख्या 18 व 21 नाबालिग जरिये कुदरती वलि माता श्रीमती गीतादेवी पत्नी राजुराम)
23. कालूराम पुत्र केसाराम
24. उम्मेदराम पुत्र केसाराम
25. पिस्ता पुत्री केसाराम
26. सायरी पुत्री केसाराम
27. पावुदेवी पत्नी केसाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण धुन्धला तहसील मा0ज0
28. प्यारीदेवी पत्नी चुनाराम

बनाम

अप्रार्थीगण

1. वचनाराम पुत्र गोकाराम
2. रावतराम पुत्र भीकाराम
3. शिवराम पुत्र जैरूप
4. महाराम पुत्र कानाराम
5. शिवराम पुत्र अचलाराम जातिगण देवासी निवासीगण खारियासोडा तहसील सोजत जिला पाली
6. तहसीलदार (भूमि धारक)सोजत जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

29. गिरधारीलाल पुत्र चुनाराम
30. रूपाराम पुत्र चुनाराम
31. सोहनलाल पुत्र चुनाराम
32. प्रतापराम पुत्र मूलाराम
33. शकरलाल पुत्र मूलाराम
34. जगदीश चन्द पुत्र मूलाराम
35. भंवरलाल पुत्र हेमाराम जतियान जाट निवासीगण तह0 मा0ज0
36. जोराराम पुत्र भोमाराम उर्फ ओमाराम
37. पारसराम पुत्र भोमाराम उर्फ ओमाराम
38. गोदाराम पुत्र भोमाराम निवासीगण धुन्धला तहसील मा0ज0 जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 366/2018

उपस्थितिः—

01. श्री जीवराजसिंह, श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।

02. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 11/07/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा खारीया सोडा तह0 सोजत के वर्तमान ख.नं. 490 रकबा 2.0200 है0 के वर्तमान खातेदार हिराराम, रूपाराम, बोराराम, केसाराम का देहान्त हो जाने के कारण इनके स्थान पर इनके विधिक वारिशांनो का प्रार्थीगण बनाया गया हैं। इसी प्रकार ख.नं. 491 रकबा 1.78 है0 की कृषि भूमि में चुन्ना, मूला, हेमा, ओमा पिता जाला की मृत्यु हो जाने के पश्चात् इनके विधिक वारिशानों को भी प्रार्थीगण बनाया गया। सरहद मौजा खारीया सोडा तह0 सोजत में प्रार्थी सं0 1 से 27 के पूर्वजो के समय से पिता एवं दादा के समय से उनकी खातेदारी कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि ख.नं. 490 रकबा 2.0200 है0 किस्म बा0प्रथम आयी हुई हैं। प्रार्थीगण के पिता/दादा का देहान्त होने के बाद उनके विधिक वारिशान होने के कारण प्रार्थीगण इस भूमि के मालिक एवं काबिज हैं। इस सम्पूर्ण कृषि भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ कदीमी पूर्वजों के समय से ही पुराना पाला तथा बाड़ आयी हुई हैं। इस कृषि भूमि के पूर्व दिशा की तरफ उत्तर में भैसाणा से बिजलियावास की ओर जाने वाला रास्ते से लगाकर दशिणा की तरफ खारिया सोडा गांव की गांवाई माठ तक पुराना धोरा लगा हुआ है, पश्चिम की तरफ खसरा नं0 491, उत्तर की तरफ भैसाणा से बिजलियावास जाने वाला आम रास्ता हैं। उक्त दोनो गांवो की सीमाओं पर पुराने मुडडे रूपे हुए हैं। ख.नं. 491 के पुराने ख.नं. के मिलान खसरा 260 मिल था। जिसके अनुसार 260/2 रकबा 14 1/2 बीघा प्रार्थीगण के पूर्वज की खातेदारी थी। अप्रार्थीगण वर्तमान नक्शे को बदलने की नियत से सैटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर पुराने नक्शे में हैराफेरी कर ख.नं. 490 जिसका पुराना ख.नं.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

260/1 है, जिसका रकबा 14 1/2 से कम कर केवल 2.264 बीघा कर दिया। जबकि मौके पर आज भी प्रार्थीगण 1 से 27 का 14 1/2 पर कब्जा काश्त हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेतो पर नाजायज कब्जा करने की नियत से जेसीबी मशीन के साथ में धोरा व पाला बिखेर कर पुराना पाला व पुरानी बाड़ को हटाकर उसे नष्ट कर दिया तथा पुराने बबूल के पेड़ भी उखेड दिये तथा मौके पर तारबंदी करने पर उतारू हुये। जिनका अप्रार्थीगण को हक अधिकार नहीं था। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिससे प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा खारीया सोडा के ख.नं. 490 रकबा 2.0200 है0 एवं खसरा नंबर 491 रकबा 1.78 है0 व पुराना रकबा 14 1/2 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नही करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पांबद किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पैरा सं0 2 में वर्णित तथ्य प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। इसी प्रकार पैरा सं0 3 में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर साबित करने का अंकन किया। ख.नं. 490 रकबा 2.0200 है0 भूमि पर प्रार्थी स0 1 से 27 का उनके द्वारा पिता के समय से कब्जा काश्त है, जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। शेष तथ्य साक्ष्य से साबित करने का अंकन किया हैं। ख.नं. 490 व 491 की कृषि भूमि सरहद मौजा खारीया सोडा पर अप्रार्थीगण शांतिपूर्ण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों में न्यायालय में नहीं आये हैं। ख.नं. 491 रकबा 1.78 है0 कब्जा काश्त होना लिखा हैं तथा ख.नं. 491 का पद सं0 02 में रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा होना लिखा है, जिससे प्रार्थी के कथनों में विरोधाभास है। प्रार्थीगण तथ्यों को छुपाते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण की नियत बद्ध हो चुकी हैं तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि को प्रार्थीगण अपने ख.नं0 490, 491 में मिलाना चाहता हैं। मौके की भूमि का पैमाईश करवाया गया हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि को हड़पना चाहता हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिले खारिज होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थी भूमि दो गांवो की मांठ पर स्थित है। अप्रार्थीगण सैटलमेंट के नक्शे में हेराफेरी कर मांठ पर से माठ को नष्ट कर धोरा व पाली को हटा दिया हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को हडप करना चाहते हैं। जिससे दिनांक 12.12.2018 को प्रधान की गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं तथ्यों के अभाव में खारिज योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा स्वच्छ हाथो से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है और उनके कथनों में विरोधाभास हैं। अप्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज हैं। मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो काबिले खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात तथा तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि ग्राम खारीया सोडा गांवाई मांठ पर स्थित हैं एवं पक्षकारो के मध्य खेत की मांठ को लेकर विवाद हैं, जो मांठ दो गांवो के मध्य स्थित हैं। जिससे वर्तमान परिपेक्ष्य में मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा खारीया सोडा तह0 सोजत के ख.नं. 490 व 491 के दक्षिणी मांठ की वर्तमान स्थिति को यथावत् रखे जाने हेतु उभयपक्षों को वाद निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 11/07/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत